[illegible] अधिकारी — महेश गगोरिया [illegible]

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र —100/2022

अनवान

1. राम—लक्ष्मण मंदिर पुजारी महावीर दास बैरागी पिता श्री जगन्नाथ जी, जाति बैरागी, आयु 72 वर्ष, निवासी खातीखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

— प्रार्थीया

बनाम

1. सुथार समाज, अध्यक्ष श्री जगदीश चन्द्र सुथार पुत्र रामप्रताप सुथार, जाति सुथार, आयु बालिग, निवासी खातीखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ।
2. भूमिधारी जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़,

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित — श्री रईस अहमद मंसूरी अभिभाषक प्रार्थी
श्री गुरूचरण सिंह अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 16.01.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पुजारी महावीर दास बैरागी के खातेदारी अधिकार की कृषि आराजी मोजा ग्राम खातीखेडा प०ह० खातीखेडा तहसील रावतभाटा राज. में संवत 2022—2025 में दर्ज खातेदारी हक अधिकार से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज चली आ रही है जिसमें खाता सं. 229 पुराना खसरा सं. 64, 508, 748, 829 कुल किता—04 कुल रकबा 19 बीघा 22 बिस्वा है जिसके नवीन खाता सं. 468 में खसरा सं. 84, 667,958, 1052 कुल किता—04 कुल रकबा 4.2300 हैक्टेयर है और प्रार्थी पुजारी इससे पूर्व संवत 2009 से ही ग्राम खातीखेडा स्थित राम—लक्ष्मण मंदिर की सेवा पूजा अर्चना व बालभोग, व्यवस्था आदि कर मंदिर सेवा करता आया है और उक्त जमीन पर काश्त करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करता हुआ आया है जो कदीमी समय से अर्थात बाप दादाओं के समय से करता आया है। प्रार्थी महावीर दास बैरागी को संवत 2022 से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए जो लगातार संवत 2042 से 2045 तक उक्त खातेदारी अधिकार चलते आ रहे थे उसके पश्चात् सुथार समाज खातीखेडा द्वारा खातेदारी में गड़बढ़ी करते हुए इन्तकाल सं. 708 से संवत 2046—49 की जमाबन्दी मे दिनांक 20.11.1987 को अपना नाम उक्त खातेदारी रिकॉर्ड मे दर्ज करवा दिया जिसपर प्रार्थी द्वारा मुकदमा दायर किया और उस मुकदमे मे एक अपील श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौडगढ़ के यहां प्रस्तुत की जिसकी अपील सं. 02/1988 अपील निर्णय दिनांक 31.10.1990 में उक्त इन्तकाल सं. 708 खारिज किया गया और पुनः अतिरिक्त तहसीलदार रावतभाटा को प्रार्थी महावीरदास बैरागी के नाम उक्त खातेदारी अधिकार दर्ज करने की स्वीकृति हुई जिसपर दिनांक 06.05.1991 को प्रार्थी महावीर दास बैरागी के नाम उक्त जमाबन्दी रिकॉर्ड मे इन्द्राज किया गया जो संवत 2049 तक दर्ज हो चुका था। उसके बाद संवत 2050—53 में इन्तकाल सं. 767 दिनांक 03.03.1992 से खुद काश्त श्रीराम लक्ष्मण मंदिर का आदेश हुआ और उक्त आदेश के बाद जिलाधीश महोदय द्वारा भगवान के नाम पर किसी भी व्यक्ति या समाज का नाम हटाकर केवल खुद काश्त के नाम से जमाबन्दी मे दर्ज करने के आदेश हुए जिसमें इन्तकाल सं. 790 का हवाला देते हुए उक्त जमाबन्दी संवत 2050—53 में रामलक्ष्मण स्थान देह खुद [illegible] गया जो इन्तकाल सं. 790 की कोई प्रति या कोई हवाला नहीं दिया गया [illegible] किसी जमाबन्दी मे उक्त इन्तकाल सं. 790 का कोई विवरण ही [illegible] मिली भगत करते हुए बिना किसी सक्षम [illegible] सुथार समाज लिख दिया गया जबकि इन्तकाल सं. 790 [illegible] देह खुद का खातेदार अंकित है इसके अलावा सुथार समाज का कहीं भी नाम अंकित नहीं [illegible] या गया है। इस कारण उक्त भूल सुधार को सही किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में मुझ पुजारी प्रार्थी महावीरदास के पास ही उक्त आराजी कब्जे में है और काश्त भी मैं ही पुजारी कर रहा हूँ, सुथार समाज द्वारा किसी प्रकार का कोई अमल दखल उक्त मंदिर की आराजी पर नहीं है। उक्त सुथार समाज के विरूद्ध मुझ प्रार्थी द्वारा राजस्व न्यायालय अजमेर में इसी आराजी के संबन्ध में अपील पेश कर रखी है जिसके नम्बर 6463/2016 है जिसमें न्यायालय अजमेर द्वारा स्थगन आदेश जारी कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.01.31 11:50:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

रखे हैं और मौके पर कब्जा मुझ प्रार्थी पुजारी महावीरदास का निर्बाध रूप से बना हुआ है। बिनाय मुखास्मत वाद कारण प्रकरण सं. 56/2014 निर्णय दिनांक 15.07.2015 को न्यायालय द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध धारा 183 के अन्तर्गत मौके पर जमीन से कब्जा हटाने से लेकर लगातार हर वर्ष प्रार्थी को जमीन की बुवाई के समय लडाई झगडा करने से उत्पन्न हो रहा है और इस वर्ष भी प्रार्थी का ही कब्जा है जिस पर प्रार्थी अपनी हंकाई का कार्य कर रहा है परन्तु ये कभी भी उक्त हंकाई मे विवाद उत्पन्न कर सकते है जिसके कारण उक्त वाद कारण हर रोज उत्पन्न हो रहा है। ग्राम खातीखेडा स्थित श्री राम–लक्ष्मण मंदिर पुजारी महावीरदास बैरागी के बजाय राजस्व रिकॉर्ड में अमीन व पटवारी हल्का द्वारा विपक्षी सं. 01 से मिलीभगत करके सुथार समाज खातीखेडा के नाम पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये और बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना खातेदारी अंकित कर दी गई जिसे शुद्धिकरण करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान मे पेश किया जा रहा है। अंत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम खातीखेडा प०ह० खातीखेडा की खाता सं. 468 में खसरा सं. 84, 667,958, 1052 कुल किता–04 कुल रकबा 4.2300 हैक्टेयर वर्तमान खातेदार सुथार समाज खातीखेडा के स्थान पर राम–लक्ष्मण मंदिर जरिये पुजारी महावीरदास बैरागी पुत्र जगन्नाथ दास बैरागी सा. खातीखेडा दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री गुरूचरण सिंह ने पैरवी हेतु वकालतनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 का जवाब महावीरदास पूर्व में रामलक्ष्मण मंदिर सुथार समाज का पुजारी था लेकिन सन् 1989 से महावीरदास इस मंदिर की सेवा पुजा नहीं कर रहा है, सन् 1989 में सुथार समाज ने इस मंदिर का पुजारी रामप्रसाद पुत्र मन्नालाल ब्राहम्ण, निवासी ग्राम खातीखेडा वाले को रख दिया था जिसके बाद लम्बे समय तक रामप्रसाद इस जमीन की सेवा पूजा करता चला आया है, रामप्रसाद के निधन के बाद उसका पुत्र सुरेश इस मंदिर की सेवा पुजा करता रहा है तथा सुरेश के निधन के बाद मंदिर की सेवा पुजा राधेश्याम सुथार कर रहा है। इस मंदिर पर महावीरदास का कोई हक व अधिकारी नहीं है, करीब 200 वर्ष पूर्व सुथार समाज के पूर्वजो ने मंदिर की स्थापना की थी, तब से इस मंदिर की व्यवस्था सुथारसमाज की करता चला आ रहा है, ग्राम खातीखेडा मे सुथार समाज के अलावा धाकड़, गुर्जर व अन्य कई जातिया निवास करती है, करीब चार सौ घर की बस्ती है,पुरे गांव को इस बात की जानकारी है कि सुथार समाज का मंदिर है। पूर्व में सुथार समाज के प्रत्येक घर से पुजारी लोग आटा मांग कर ले जाते थे,सुथार समाज के अलावा अन्य किसी जाति के व्यक्तियों से आटा नही लिया गया, अभी भी रामलक्ष्मण मंदिर पर जितने भी धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रम होते है उसमें आर्थिक सहयोग सुथार समाज का रहा है,अन्य किसी समाज का इस मंदिर पर कोई हक व अधिकार नहीं हैं। अभी भी मंदिर की दिवारों पर प्लास्तर का काम हुआ है जो भी सुथार समाज के द्वारा ही करवाया गया है जिसके करीब बीस हजार रू का खर्चा हुआ है। कलम संख्या 02 का जवाब है कि वर्ष 1992 में राज्य सरकार के आदेश से सभी मंदिरों के खाते की जमीनों से पुजारियों के नाम हटा दिये गये पूर्व मे महावीरदस इस मंदिर के खाते की जमीन पर पुजारी होने से काश्त करता था, इसलिए केवल चार–पांच वर्ष के लिए वर्ष 2042–2045 की जमाबंदी में महावीरदास का नाम है,लेकिन बाद मे इसे पुजारी से हटा दिया गया था तब से मंदिर सुथार समाज के कब्जे में है, वर्तमान में राज्य सरकार के आदेश से किसी पुजारी का नाम मंदिर के खाते की जमीन में मंदिर के साथ दर्ज नहीं है। रामलक्ष्मण मंदिर सुथार समाज का है, सुथार समाज की ओर से कार्यालय/न्यायालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर मे ट्रस्ट को पंजीयन कराने हेतु आवेदन किया था जिस पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की गई, जिसके बाद न्यायालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर द्वारा सुथार समाज की सम्पति दर्शाया गया है, ग्राम पंचायत खातीखेडा ने भी इस संबंध में प्रमाण पत्र दे रखा है कि रामलक्ष्मण मंदिर सुथार समाज का है। महावीरदास ने मंदिर के खाते की जमीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है जिसके बेदखल करने हेतु सुथार समजा की ओर से एक वाद पत्र पेश [illegible] 56/14 है, जिसमे दिनांक 15.07.2015 को महावीरदास को बेदखल करने के आदे[illegible]रत [illegible] गये है। इस वाद पत्र में भी रामलक्ष्मण मंदिर सुथार समाज का [illegible] इस निर्णय की अपील माननीय राजस्व अधिकारी [illegible] जिसके अपील संख्या 299/2015 है, जिसमें दिनांक 04.08.2017 को [illegible] की अपील खारीज की है। जिसकी द्वितिय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश [illegible] जिसके प्र0सं0 6463/2016 है, जिसमें दिनांक 06.01.2023 को महावीरदास की अपील को खारीज किया है। अंत में अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे तथा प्रार्थी ने जो अनुतोष चाहा है कि उसका नाम मंदिर के खाते की जमीन में जोड दिया जावे जो विधि विपरित है,राज्य सरकार ने पुजारियों के नाम मंदिर के खाते की जमीन से हटवा दिये है तथा महावीरदास इस जमीन की सन् 1989 से पुजा भी नहीं कर रहा है,उसका नाम किसी भी सुरत मे जोडा जाना न्यायोचित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.01.31 11:50:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 02 पेरोकार सरकार द्वारा दिनांक 14.06.2024 से जवाब प्रस्तुत किया गया। पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम खातीखेडा प0ह0 खातीखेडा के जमाबंदी सम्वत 2076–79 खाता संख्या 522 खसरा संख्या 1052 रकबा 1.92है0, आराजी संख्या 667 रकबा 0.15है0, आराजी संख्या 84 रकबा 0.50है0 एवं आराजी संख्या 958 रकबा 1.66है0 कुल किता 04 कुल रकबा 4.23है0 भूमि श्री रामलक्ष्मण जी स्थान खु.मा. सुथार समाज हिस्सा पूर्ण सा. देह देवताओं के खाते दर्ज रिकार्ड है। नवीन भू–प्रबन्ध मिलान क्षैत्रफल रिकार्ड अनुसार साबिक आराजी संख्या 64 रकबा 0.50है0 के नवीन आराजी संख्या 84 रकबा 1.92है0, आराजी संख्या 508 रकबा 0.15है0 के नये आराजी संख्या 667, आराजी संख्या 748 रकबा 1.66है0 के नये आराजी संख्या 958 एवं आराजी संख्या 829 रकबा 1.92है0 के नये आराजी संख्या 1052 बने है। (मिलान क्षैत्रफल की छायाप्रति सलंग्न है।) ग्राम खातीखेडा की जमाबंदी सम्वत 2050–53 खाता संख्या 316 किता 04 रकबा 4.23है0 भूमि श्री रामलक्ष्मण जी स्थान देह खु.का. सुथार समाज सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड है लेकिन नामान्तरण संख्यास 790 में सुथार समाज का कोई हवाला नहीं दिया गया है और ना ही जमाबंदी में नामान्तरण संख्या 790 के अंकन का कोई रिकार्ड है। (रिकार्ड की छायाप्रति सलंग्न है।) अन्य सभी बिन्दु न्यायालय से संबंधित होकर प्रार्थी स्वयं सिद्व कराने का अनुरोध किया है।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी पुजारी महावीर दास बैरागी के खातेदारी अधिकार की कृषि आराजी मोजा ग्राम खातीखेडा प०ह० खातीखेडा तहसील रावतभाटा राज. में संवत 2022–2025 में दर्ज खातेदारी हक अधिकार से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज चली आ रही है जिसमें खाता सं. 229 पुराना खसरा सं. 64, 508, 748, 829 कुल किता–04 कुल रकबा 19 बीघा 22 बिस्वा है जिसके नवीन खाता सं. 468 में खसरा सं. 84, 667,958, 1052 कुल किता–04 कुल रकबा 4.2300 हैक्टेयर है, प्रार्थी महावीर दास बैरागी को संवत 2022 से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए जो लगातार संवत 2042 से 2045 तक उक्त खातेदारी अधिकार चलते आ रहे थे उसके पश्चात् सुथार समाज खातीखेडा द्वारा खातेदारी में गडबढी करते हुए इन्तकाल सं. 708 से संवत 2046–49 की जमाबन्दी मे दिनांक 20.11.1987 को अपना नाम उक्त खातेदारी रिकॉर्ड मे दर्ज करवा दिया। ग्राम खातीखेडा स्थित श्री राम–लक्ष्मण मंदिर पुजारी महावीरदास बैरागी के बजाय राजस्व रिकॉर्ड में अमीन व पटवारी हल्का द्वारा विपक्षी सं. 01 से मिलीभगत करके सुथार समाज खातीखेडा के नाम पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये और बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना खातेदारी अंकित कर दी गई जिसे शुद्धिकरण करवाने का निवेदन किया है। इसके विपरित वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि महावीरदास पूर्व में रामलक्ष्मण मंदिर सुथार समाज का पुजारी था लेकिन सन् 1989 से महावीरदास इस मंदिर की सेवा पुजा नहीं कर रहा है, सन् 1989 में सुथार समाज ने इस मंदिर का पुजारी रामप्रसाद पुत्र मन्नालाल ब्राहम्ण, निवासी ग्राम खातीखेडा वाले को रख दिया था जिसके बाद लम्बे समय तक रामप्रसाद इस जमीन की सेवा पूजा करता चला आया है। वर्ष 1992 में राज्य सरकार के आदेश से सभी मंदिरों के खाते की जमीनों से पुजारियों के नाम हटा दिये गये पूर्व मे महावीरदस इस मंदिर के खाते की जमीन पर पुजारी होने से काश्त करता था, इसलिए केवल चार–पांच वर्ष के लिए वर्ष 2042–2045 की जमाबंदी में महावीरदास का नाम है,लेकिन बाद मे इसे पुजारी से हटा दिया गया था तब से मंदिर सुथार समाज के कब्जे में है, वर्तमान में राज्य सरकार के आदेश से किसी पुजारी का नाम मंदिर के खाते की जमीन में मंदिर के साथ दर्ज नहीं है। रामलक्ष्मण मंदिर सुथार समाज का है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को मय हर्जा खर्चा खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण ग्राम खातीखेडा प0ह0 खातीखेडा की विवादित आराजीयात पुरानी खाता संख्या 229 की खसरा संख्या 64, 508, 748, 829 कुल रकबा 19 बीघा व नये खाता संख्या 468 की खसरा संख्या 84, 667, 958, 1052 कुल रकबा 19 बीघा के संबंध से प्रार्थना पत्र धारा 136 रा.का.अ. का प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी महावीरदास को संवत 2022 से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए जो लगातार सम्वत 2042–45 तक रहें किन्तु प्रार्थी के उसके पश्चात सुथार समाज खातीखेडा द्वारा खातेदारी में गड़बड़ी करते हुए इन्तकाल सं. 708 से सम्वत 2046–49 की जमाबन्दी मे दिनांक 20.11.1987 को अपना नाम उक्त खातेदारी रिकार्ड मे दर्ज करवा दिया। उक्त विवादित आराजीयात जो पूर्व मे प्रार्थी के खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड थी उसे दुरूस्त कर प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती किये जाने का निवेदन किया है। हमने पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया। ग्राम खातीखेडा की जमाबंदी सम्वत 2006–2009 में उक्त विवादित आराजीयात खातेदार श्री रामलक्ष्मण जी स्थान देह पुजारी खुद काश्त माधू पिता नाराण ब्राहम्ण के नाम दर्ज होकर जमाबंदी सम्वत् 2010–19 व 2014–17, 2018–21 तक दर्ज रिकार्ड चली आ रही थी। जमाबंदी सम्वत् 2022–25 में खातेदार श्री रामलक्ष्मण जी स्थान देह खु.का. पुजारी व जमाबंदी सम्वत 2026–29 में खातेदार श्री रामलक्ष्मण जी स्थान देह खु.का. पुजारी श्री महावीरदास पिता जगन्नाथ बैरागी सा. दे हके नाम दर्ज होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.01.31 11:50:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

जमाबंदी सम्वत 2030–33, 2033–36 व 2037–40 तक दर्ज रिकार्ड है। श्रीमान जिला कलक्टर के आदेशानुसार पुजारियों के नाम हटाने की स्वीकृति से नाम हटाये जाकर खातेदार श्री रामलक्ष्मण जी स्थान देह खु.का. खातेदार नाम दर्ज हुई। दिनांक 06.05.91 से जरिए इन्तकाल पुनः वापस पुजारियों के नाम दर्ज हुए। जमाबंदी सम्वत् 2046–49 में खातेदार श्री रामलक्ष्मण जी स्थान देह खु0का0 पुजारी श्री महावीरदास वल्द जगन्नाथदास बैरागी के नाम दर्ज रिकार्ड हुई किन्तु इंतकाल संख्या 767 व 790 दिनांक 3.3.92 से श्री रामलक्ष्मण जी स्थान देह खु.का. के नाम पर दर्ज हुई। आदेश 810 इंतकाल संख्या 708 से खाते में सुथार समाज का नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। जमाबंदी सम्वत 2050–53 व 2054–57 एवं 2064 में श्री रामलक्ष्मण जी स्थान देह खु.का. सुथार समाज सा. देह के नाम दर्ज रही है। इंतकाल संख्या 708 को दिनांक 31.10.1990 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूं द्वारा निरस्त किया गया। इंतकाल संख्या 767 व 790 की प्रति रिकार्ड में उपलब्ध नहीं पायी गई। जिससे साक्ष्य के अभाव मे यह पता नही चलता की सुथार समाज का नाम जमाबंदी सम्वत 2050–53 में किस प्रकार अंकन हुआ है, तहसीलदार रावतभाटा के रिपोर्ट अनुसार भी नामान्तरण संख्या 790 में सुथार समाज का कोई हवाला नहीं दिया गया है और ना ही नामान्तरण संख्या 790 के अंकन का कोई रिकार्ड है। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चितौडगढ के आदेशानुसार पुजारी का नाम डिलिट किया गया इस दौरान सुथार समाज का नाम राजस्व कर्मचारी द्वारा त्रृटि व भूलवश अंकित होना प्रतित होता है। पुजारी महावीरदास बैरागी का नाम खातेदार के रूप में सम्वत 2022 से 2040 तक दर्ज रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहसीलदार रावतभाटा रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–136 इन्द्राज दुरूस्ती का प्रमाणित होने से दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम खातीखेडा प0ह0 खातीखेडा की खाता संख्या 468 में खसरा संख्या 84, 667, 958, 1052 कुल किता 04 कुल रकबा 4.23है0 भूमि में खातेदार सुथार समाज खातीखेडा का नाम विलोपित कर श्री राम–लक्ष्मण जी स्थान देह का नाम दुरूस्ती कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को सुनाया गया।

(महेश गगारिया)आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चितौडगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.01.31 11:30:37 IST
Reason: SelfAttested